

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

135255 - हवाई अड्डे पर यात्रियों द्वारा छोड़े गए सामान का निपटान

प्रश्न

मैं उड्डयन क्षेत्र (एक पायलट के रूप) में काम करता हूँ, और मेरी उड़ान कल मुझे सऊदी अरब के जद्दा शहर में ले गई। अपने स्टॉप के दौरान, जो एक घंटे से अधिक नहीं था, मैंने ग्राउंड कर्मचारी से पूछा : क्या उसके पास ज़मज़म का पानी है? उसने हाँ कहा। तो मैंने उससे पूछा : तुम इसे कहाँ से लाए हो? उसने कहा : हवाई अड्डे में बहुत सारा ज़मज़म का पानी है, जिसके बहुत-से कारण हैं : जैसे कि ज़मज़म के पानी का मालिक उसे भेजने में सक्षम नहीं हो सका, या जब उसने इस पानी को भेजना चाहा, तो वह रसीद जो उसके मालिक का पता देती है, कट गई। या उड़ान रद्द कर दी गई ... और इसी तरह के अन्य कारण। आप निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि उसे किस कारण से हवाई अड्डे पर रखा गया है। उसके बाद इस पानी को एयरपोर्ट पर रख दिया जाता है और अगर उसे किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया तो वह पानी नष्ट कर दिया जाएगा। तो क्या मैं अपनी अगली उड़ान में उसमें से कुछ ले सकता हूँ? अल्लाह आपको अच्छा बदला दे।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

यात्री हवाई अड्डे पर जो पानी भूल जाता है, या उसे छोड़ देता है : वह या तो उस पानी के मालिक के अन्य सामान के साथ है, और वह उसके नाम पर पंजीकृत है, और वह एयरलाइन की ज़िम्मेदारी में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में : सामान के मालिक के अपने सामान को, जिसमें पानी भी शामिल है, लेने के लिए लौटने का इंतज़ार किया जाएगा। यदि यह मालूम हो जाए कि उसका मालिक वापस नहीं आएगा, या उसके वापस आने की आशा न रह जाए, या उस पानी के खराब और नष्ट होने का खतरा हो : तो उसे बेच दिया जाएगा, और उसकी कीमत उस सामान के मालिक के हक्क में दान कर दी जाएगी।

तथा ज़िम्मेदार कंपनी के लिए अनिवार्य है कि वह यात्री के साथ अनुबंध में निर्धारित अवधि तक के लिए यात्रियों के सामान की रक्षा करे।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछा गया : “एक लांड्री (धुलाई घर) में ऐसे कपड़े हैं जिनपर दो महीने से अधिक समय

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

बीत चुका है और उनके मालिकों का पता नहीं है, हालाँकि बिल में अंकित शर्तों में से यह भी है कि लांड्री उन कपड़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है जिन्हें उनके मालिक दो महीने से अधिक समय तक छोड़ देते हैं। क्या लांड्री का मालिक उन्हें उपयोग या बिक्री के लिए या उन्हें दान करने के लिए ले सकता है? यदि उसने उन्हें ले लिया और फिर उनका निपटान किए जाने के बाद उनके मालिक ने उनकी माँग की : तो क्या उसे क्रीमत वापस करनी होगी या नहीं? तो उन्होंने उत्तर दिया :

“यदि कपड़े के मालिक पर यह शर्त लगाई गई थी कि अगर उसने दो महीने तक विलंब किया, तो उसका कोई अधिकार नहीं है : तो यह उसी ने देरी की है, और जब दो महीने पूरे हो गए : तो अब लांड्री का मालिक या तो उसे दान कर दे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे स्वीकार करता और पहनता है, या उसे बेच दे और उसकी क्रीमत दान में दे दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह दो महीने के बाद दस दिन या पंद्रह दिन इंतज़ार करे ; क्योंकि हो सकता है कि उसका मालिक आया हो, लेकिन उसकी कार खराब हो गई या वह बीमार हो गया हो। इसलिए इंतज़ार करना बेहतर है।” “लिक्राउल बाबिल-मफ्तूह” (11/215) से उद्धरण समाप्त हुआ।

उन्होंने यह भी कहा : “यदि उनके बीच कोई विशिष्ट अवधि है, तो जब वह अवधि समाप्त हो गई, तो उसके लिए जायज़ है कि उसे दान में दे दे या उसे बेचकर उसकी क्रीमत दान कर दे।

लेकिन अगर उनके बीच कोई विशिष्ट अवधि नहीं है ; तो उसके लिए एक या दो महीने के बाद उसे बेचना जायज़ नहीं है, बल्कि वह उसे न बेचेगा और न उसका उपयोग करेगा, सिवाय इसके कि वह उसके मालिक से निराश हो जाए। यदि वह निराश हो गया तो उसके लिए जायज़ है ; क्योंकि वह इन कपड़ों या इन गद्दों के साथ अपने स्थान को अनिश्चित काल तक व्यस्त नहीं रख सकता।” “लिक्राउल बाबिल-मफ्तूह” (19/215)।

अगर वह पानी कुछ यात्रियों के अन्य सामान (लगेज) के अधीन नहीं है, और उड़ान की तारीख बीत चुकी है, या उसपर कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई है, और वह हवाई अड्डे पर इतने समय तक रहा है कि अब सबसे अधिक संभावना यह है कि उसका मालिक यात्रा कर चुका है और उसे छोड़ दिया है, या उसकी यात्रा छूट गई है : इसलिए ऐसा नहीं समझा जा सकता कि वह पानी लेने या उसे तलाश करने के लिए हवाई अड्डे पर वापस आएगा। और ऐसी स्थिति में : पायलटों या अन्य कार्यकर्ताओं के लिए उससे लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका हुक्म मामूली गिरी-पड़ी चीज़, या उस सामान का है जिसे उसका मालिक उससे उपेक्षा करते हुए छोड़ देता है : कि जो कोई भी उसे पाता है उसके लिए उससे लाभ उठाना जायज़ है।

और यदि प्राधिकरण उसे जिसे वह चाहे : उससे लाभान्वित होने के लिए दे दे, चाहे वह कार्यकर्ताओं में से हो या यात्रियों में

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

से, तो इन शा अल्लाह यह अच्छी बात है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।